प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्याः5474 / नौ–5–2025–464सा / 2018

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2025

विषयः–प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में 'डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण' एवं 'सेग्रीगेशन' हेतु वृहद अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 के परिणामों की घोषणा की गयी है, जिसमें 762 नगरीय निकायों में से 16 निकायों को वाटर प्लस (Water +), 337 निकायों को ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस (ODF++), 323 निकायों को ओ0डी0एफ0 प्लस (ODF +) एवं 83 निकायों को गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण (GFC Star Rating Certification) श्रेणी में उपलब्धता प्राप्त हुयी हैं, परन्तु उक्त उपलब्धि प्रदेश के अपेक्षित लक्ष्यों की तुलना में काफी कम है।

2– स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 के परिणामों को घोषित किये जाने के उपरान्त उच्च स्तर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन में दिये गये समस्त पैरामीटर्स का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश, जिला एवं निकाय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग किये जाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में निकाय के प्रदर्शन में और सुधार परिलक्षित हो सके।

3– आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन और रैकिंग प्राप्त किये जाने के साथ प्रदेश द्वारा स्थापित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक हैः–

(1) राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से निकाय में ट्रेनिंग पार्टनर का चयन करते हुये कैपेसिटी बिल्डिंग एक्शन प्लान तैयार करें तथा साथ ही प्रत्येक वार्ड / मोहल्ले में उक्त प्रशिक्षण का आयोजन सुनिश्चित करें, जिससे प्रत्येक नागरिक को कचरा पृथक्करण (सेग्रीगेशन) एवं कम्पोस्टिंग आदि से अवगत कराते हुए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।

(2) नियमित रूप से प्रातः 09 बजे से पूर्व ही स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति (SVPS) एवं एन0जी0ओ0 / नॉलेज पार्टनर (जिन्हें नियमानुसार गतिविधि में जोड़ा जा सके) की सहायता से सभी गतिविधियों को प्रातःकालीन डोर–टू–डोर कलेक्शन के दौरान संचालित किया जाए। इस अभियान की सफलता के लिए, SVPS के सदस्यों को अभियान की कार्यप्रणाली और लाभों के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करायें। उक्त प्रक्रिया को मोहल्ला–वार

Arun Sir GO-VC

लागू किया जाए तथा नियमित निगरानी कि जाए एवं अभियान से संबंधित सभी गतिविधियों को स्वच्छ्तम पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) घरों से निकलने वाले कूड़ा कलेक्शन की निगरानी मॉनिटरिंग टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाए, जिससे कचरा समयबद्ध रूप से प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुॅचे तथा उसका निस्तारण एवं विक्रय का कार्य हो सके और नगरीय निकायों को राजस्व सृजन (Revenue Generation) में सहायता प्राप्त होगी।

(4) यह सुनिश्चित कराया जाए कि निकायों में कूड़ा–कचरा प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी संयंत्र (Waste Processing Infrastructure) अपनी शत–प्रतिशत क्षमता पर संचालित रहें, जिससे आगामी सर्वेक्षणों में भी बेहतर प्रदर्शन तथा कचरे का पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

(5) निकायों में अपने स्तर से समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से, विशेषकर प्रातः 06 से 09 बजे के बीच, भ्रमण और कार्य की निगरानी करना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त गतिविधियों एवं लक्ष्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सकेगी और सभी लक्ष्यों में शत–प्रतिशत सफलता के साथ प्राप्त हो सकेगी।

(6) उक्त अभियान की सफलता के लिए, संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को स्वयं नेतृत्व करना होगा तथा इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल में जन–प्रतिनिधियों को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित करना सुनिश्चित कराया जाए। हर नागरिक को यह समझाना आवश्यक है कि गीले और सूखे कचरे को अलग–अलग करके हम अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। सूखा कचरा पुनर्चक्रण (Recycle) के बाद एक मूल्यवान संसाधन बन जाएगा, जबकि गीले कचरे से उपयोगी खाद बनेगी। ऐसी पहल नागरिकों में अपने शहर के प्रति गर्व की भावना पैदा करती हैं, और वे स्वयं को इस स्वच्छता अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगेंगें। यह भागीदारी ही इसे एक स्थायी और सफल आंदोलन बनाऐगी।

(7) प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिनांक 01 सितंबर, 2025 से 03 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाए तथा इस अभियान का उद्देश्य शहरों को कचरा–मुक्त बनाना और प्रत्येक गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स (Garbage Vulnerable Point) को समाप्त करना है। इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, माह दिसंबर, 2025 से निकायवार संबंधित अधिकारियों के साथ सभी लक्ष्यों/अभियान की समीक्षा की जाएगी एवं उसके उपरान्त प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार या दंड का प्रावधान होगा।

(8) अपने निकाय में उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकायों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स (Div PM's) एवं जिला प्रोग्राम मैनेजर्स (DPM's) द्वारा अभियान की प्रगति संबंधी जानकारी नियमित रूप से प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकायों तथा मुख्यालय टीम को उपलब्ध कराई जाए।

(9) प्रदेश के नगरीय निकायों में पूर्व से स्थापित 26 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट, 965 कम्पोस्ट पिट, 796 एम0आर0एफ0 सेन्टर तथा 9 सी0एण्ड डी0 प्लांट को पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर निकाय को कचरा मुक्त बनाये जाने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Arun Sir GO-VC

4– प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देश का प्रभावी रूप से प्राथमिकता के आधार पर नियमित स्वयं पर्यवेक्षण किया जाए तथा डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान भ्रमण की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराया जाए। प्रथम चरण में ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जहां उक्त गतिविधियों की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में प्रतिदिन डी0सी0सी0सी0 (DCCC) के माध्यम से प्रातः 06:00 बजे से 9:00 बजे के मध्य 15 मिनट औचक सत्यापन (Random Verification) किया जाए, जिसमें रोस्टर वाले निकायों के अतिरिक्त अन्य निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जा सके।

5– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन एवं रैकिंग प्राप्त किये जाने हेतु दिये गये उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अपनी निकायों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 01 सितंबर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 तक लगातार 03 महीने का विशेष अभियान चलाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अभियान को सफल बनाये जाने के संबंध में अपने स्तर से भी संबंधित नगरीय निकायों की प्रभावी मॉनीटरिंग करते हुए समस्त संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
6. पर्यवेक्षणीय अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, डी0सी0सी0सी0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय दिवस अधिकारी/विशेषज्ञ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
8. समस्त मण्डल कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय से जुड़े कर्मचारीगण, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
01.09.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Arun Sir GO-VC